टिप्पणी

10

आपराधिक और सिविल कानून

किसी भी कानूनी प्रणाली में विभिन्न प्रकार के कानून विद्यमान होते हैं। कुछ कानूनों में वे नियम होते हैं जो अपराधों को विनियमित करते हैं जो अपराध नहीं है किन्तु अन्यों के अधिकारों को खंडित करते हैं। इस आधार पर, कानून को व्यापक स्तर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। सिविल कानून (Civil Law) और अपराधारिक कानून (Criminal Law) । ये कानून के दो व्यापक और पृथक निकायों की दो श्रेणियां है जिनके सिविल दोषों और आपराधिक दोषों से निपटने के लिए क्रमशः नियमों के पृथक समुच्य विद्यमान हैं। इस प्रकार, विभाजन की प्रकृति को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि कानून की प्रत्येक शाखा के प्रयोजन, प्रक्रिया तथा शब्दावली में मौलिक अंतर है। जहां सिविल कानून नियमों के शरीर से संबंधित है जो प्राइवेट अधिकारों और उनके उपचारों को परिभाषित करता है, वहीं अपराधिक कानून अधिकारों और उनके उल्लंघन के लिए उपचारों से संबंधित नियमों को परिभाषित करता है। यही कारण है कि सिविल कानून आपराधिक कानून से भिन्न है। इस पाठ में आप सिविल और आपराधिक कानून की प्रकृति और उनके बीच के अंतर को समझेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ के अध्ययन के पश्चात आप–

- सिविल कानून और आपराधिक कानून की परिभाषा और प्रकृति को जान पाऐंगे।
- समाज में इन कानूनों की आवश्यकता और महत्व को जान पाएंगे।
- सिविल कानून और आपराधिक कानून के अंतर्गत शामिल अधिकारों और उनके उल्लंघन के लिए उपचारों को जान पाएंगे।
- सिविल और आपराधिक मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारक के लिए उपलब्ध फॉरमों के विषय में जान पाएंगे।
- इन नियमों के उल्लंघन के लिए प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की राहतों के विषय में जान जाएंगे एवं
- सिविल और आपराधिक कानून के बीच में अंतर कर पाएंगे।

10.1 सिविल कानून-परिभाषा और प्रकृति

सिविल कानून और कुछ नहीं बल्कि राज्य का कानून या देश का कानून है। यह कानून और न्याय का वह क्षेत्र हैं जो व्यक्तिगत विधिक स्थिति को प्रभावित करता है। शब्द "सिविल कानून" की उत्पत्ति रोमन भाषा के शब्द "जस सिविल" (jus civil) से हुई है कि यह राज्य का कानून हैं। कानून की यह शाखा समाज के बीच प्रत्येक सदस्य के अधिकारो, दायित्वों और जिम्मेदारियों से संबंधित हैं। कई बार इसे नगरपालिका कानून भी कहा जाता है। मध्यकालीन अवधि के न्यायविद् इसे सिविल लॉ (jus positivum) कहते थे अर्थात् भगवान द्वारा बनाए गए कानून के विरुद्ध मानव द्वारा बनाए गए सकारात्मक कानून। इसे सकारात्मक कानून माना गया है क्योंकि कानून के वर्तमान परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। सिविल कानून में विभिन्न पहलू शामिल हैं जैसे संपत्ति, पर्यावरण, परिवार, व्यापार, बौद्धिक संपत्ति, संविदा, क्षति आदि से संबंधित कानून।

सिविल कानून का उद्देश्य दोषों का कड़े माध्यमों के स्थान पर सुधार करना या मैत्रिपूर्ण रूप से विवादों का निपटान करना है। यदि कोई पीडित है तो उसे क्षतिपूर्ति प्राप्त होगी और दोषी इसका भुगतान करेगा। सिविल कानून में विवाद तब उत्पन्न होता है जब पीडित पक्ष अन्य पक्ष के विरूद्ध शिकायत दायर करता है। सिविल कानून के अंतर्गत पीडित को हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए जब एक दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति दुर्घटना में हुई हानि या उसे लगी चोटों के लिए चालक से क्षतिपूर्ति का दावा करता है तो इस मुद्दे का निवारण सिविल कानून के माध्यम से किया जाएगा।

सिविल कानून न केवल निजी पक्षों के बीच विवादों को निपटाता है बल्कि व्यक्तियों के लापवाही पूर्ण कृत्यों द्वारा अन्य लोगों को हुई क्षति का भी निवारण करता है। उदाहरण के लिए, जब दो पक्षों के बीच में संविदा की शर्तों के संबंध में या एक संपत्ति के स्वामित्व या अधिकार के संबंध में, या नियोक्ता द्वारा अपन कर्मचारी को गलत ढंग से निरसित किए जाने के संबंध में असहमति है तो पीड़ित पक्ष मामले के निपटान के लिए अदालत में जाकर सिविल कानून के अंतर्गत राहत प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति सावधानी के उस स्तर का प्रयोग करने में विफल रहता है जिसे किसी प्रकार के लापरवाहीपूर्ण कृत्य से बचने के लिए किसी स्थिति में एक सामान्य विवेक वाले व्यक्ति द्वारा अपनाया जाता है तो अन्य पक्ष सिविल कानून के अंतर्गत उपचार प्राप्त करने के लिए न्यायालय जा सकता है। यहां मूल सिद्धांत यह है कि यदि एक व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो इस पर कार्रवाई की जा सकती है चाहे उस व्यक्ति को किसी प्रकार की वास्तविक हानि हुई हो या नहीं। मामले की परिस्थितियों और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, एक व्यक्ति को उसके दोषपूर्ण कृत्य के परिणाम के रूप में किसी प्रकार की क्षति या चोट के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है। परिवारिक मुद्दों से संबंधित विवादों को भी सिविल कानून के अंतर्गत शामिल किया जाता है जैसे विवाह, तलाक, अनुरक्षण, वसीयत, पति-पत्नी के बीच संपत्ति का विभाजन जैसे मामले बड़ी मात्रा में सिविल कानून के अंतर्गत शामिल होते हैं। सिविल मामले में शिकायतकर्ता व्यक्ति को वादी या आवेदक कहा जाता है और वह पक्ष जिसके विरूद्ध मामला दर्ज किया जाता है उसे प्रतिवादी कहा जाता है। न्यायालयों को यह विशेषाधिकार होता है कि वे मामले के गुण-दोषों के आधार पर उसे खारिज कर सकते हैं या यह पीडित पक्ष को हुई हानि के लिए क्षतिपूर्ति के भुगतान का आदेश दे सकते हैं। सिविल मामलों में राज्य की कोई भूमिका नहीं होती है बशर्ते सरकार स्वयं इसमें एक पक्ष हो।

10.1.1 योगदायी उपेक्षा

योगदायी उपेक्षा से तात्पर्य ऐसी उपेक्षा से है जिसके लिए वादी तथा प्रतिवादी दोनों का योगदान है। वादी तथा प्रतिवादी दोनों ही इस प्रकार की लापरवाही के लिए उत्तरदायी होते हैं। किन्तु यहां यह पता लगाना होता है कि ऐसी लापरवाही के कारण हुई हानि के लिए कौन अधिक उत्तरदायी है। उदाहरण के लिए वादी ने अपने गदहे के अगले पैरों को रस्सी से बांधकर राजमार्ग पर चरने के लिए छोड़ दिया। प्रतिवादी ने लापरवाही पूर्ण वाहन चलाते हुए उस गदहे को चोट पहुंचाई। प्रतिवादी इस दुर्घटना को रोक सकता था। यदि उसने अपनी कार सावधानीपूर्वक चलाई होती तो यह दुर्घटना नहीं होती। इस प्रकार प्रतिवादी वादी के गदहे को चोट पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है। हालांकि कुछ स्तर तक वादी की भी लापरवाही है।

पाठगत प्रश्न 10.1

1. सिविल कानून को परिभाषित करें।
2. 'योगदायी उपेक्षा' को परिभाषित करें।

10.2 आपराधिक कानून-परिभाषा और प्रकृति

आपराधिक कानून को "नियमों के एक निकाय, जो जन सुरक्षा और कल्याण के लिए हानिकारक आचरण को प्रतिबंधित करता है और ऐसे कृत्यों के लिए दंड निर्धारित करता है" के रुप में परिभाषित किया जा सकता है।

अधिक विशिष्ट रुप से, आपराधिक कानून (जिसे दंड विधि भी कहते हैं) व्यक्तियों को जान बूझकर पहुंचाई गई हानि के कृत्यों से संबंधित है। व्यापक दृष्टिकोण में यह कहा जा सकता है कि यह राज्य के विरूद्ध अपराधों से संबंधित हैं। सभ्य समाज में अपराध को दायित्व के उल्लंघन के रूप में माना जाता है, जो न केवल एक व्यक्ति के विरूद्ध होता है किन्तु व्यापक दृष्टिकोण में समाज के विरूद्ध भी होता हैं। अन्य शब्दों में यह समग्र रूप से जन साधारण के प्रति दायित्व का उल्लंघन है जिसके लिए दोषी व्यक्ति को समाज या राज्य दंडित किया जाता है। एक अपराध सुविचारित तथा लापरवाहीपूर्ण कृत्य हैं जो अन्य व्यक्ति या उसकी संपत्ति को हानि पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त, अन्य व्यक्तियों को हानि से सुरक्षा पहुंचाने के दायित्व में लापरवाही करना भी एक अपराध है। आपराधिक कानून से तात्पर्य कानूनों के उस निकाय से हैं। जो अपराधों और उनके परिणामों के संबंधित है ।

आपराधिक कानून में एक व्यक्ति अपराध की सूचना दे सकता है किन्तु दूसरे व्यक्ति के विरूद्ध मामला दर्ज नहीं कर सकता, यहां केवल सरकार दोषी के विरूद्ध किए जाने वाले विभिन्न अपराधों को परिभाषित करता है और उनके लिए दंडों को भी निर्धारित करता है। आपराधिक कानून का उद्देश्य अपराध करने वाले को दंडित करना और उसे पुनः अपराध को दोहराने से रोकना है। अपराध तथा दंड एक सिक्के के दो पहलू हैं। प्रत्येक कृत्य जो सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा उत्पन्न करता है वह एक अपराध है। यद्यपि अपराध कानून द्वारा प्रतिबंधित कृत्य है और कोई व्यक्ति जो अपराध करता है वह दंड के लिए दायी है।

आपराधिक कानून की मूल अवधारणा "actus non facitreum, nisi mens sit rea" सूत्र पर आधारित है जिसका अर्थ है कि एक कृत्य स्वयं एक अपराध नहीं है जब तक कि उसके साथ आपराधिक मंशा शामिल न हो। इस प्रकार तब तक अपराध नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसके साथ आपराधिक मंशा न हो। इसी प्रकार मात्र आपराधिक मंशा को अपराध नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसके साथ दोषपूर्ण कृत्य शामिल न हो।

उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति अपहरण करने का केवल विचार बनाता है तो उसे अपहरणकर्ता नहीं कहा जा सकता। उसकी अपराध की मंशा के साथ-साथ अपहरण करने का दोषपूर्ण कृत्य भी शामिल होना चाहिए तभी वह अपराध बनेगा। इसी प्रकार, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाता है तो यह चोट पहुंचाने का अपराध है किन्तु व्यक्ति तभी दायी होगा जब उसने यह चोट जान बूझकर पहुंचाई है।

यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि एक अपराध के लिए मानसित कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है। जब कभी एक व्यक्ति को अपराध करने के दोष में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करने के लिए उसकी मानसिक परिस्थिति का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाता है कि क्या वह इस तथ्य से अवगत है कि उसने दोषपूर्ण कृत्य किया है। इस प्रकार, पागल व्यक्ति या नशे के प्रभाव वाले व्यक्ति द्वारा यदि बिना दोषपूर्ण मंशा के दोषपूर्ण कृत्य किया जाता है तो उसे दंड नहीं दिया जा सकता है।

आपराधिक कानून अधिकतर दो प्रकार के कानूनों से संबंधित हैं-अधिष्ठायी और प्रक्रियात्मक कानून। अधिष्ठायी कानून अपराधों को निर्धारित करता है और इन अपराधों के लिए दंडों को निर्धारित करता है जबकि प्रक्रियात्मक कानून अपराधियों को ऐसे दंड दिए जाने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करता है।

भारत का आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय लक्ष अधिनियम, 1872 में कूटबद्ध है। इन्हें प्रमुख दंड अधिनियम कहा जाता है। इन दंड अधिनियमों के अतिरिक्त कुछ अन्य गौण दंड अधिनियम भी विद्यमान है जैसे त्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, आयुध अधिनियम तथा कास्मेटिक अधिनियम दहेज प्रतिषेध अधिनियम आदि। भारतीय दंड संहिता अधिष्ठायी कानून है क्योंकि यह विभिन्न अपराधों को परिभाषित करता है और ऐसे अपराधों के लिए दंड भी निर्धारित करता है। किन्तु दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रक्रियात्मक कानून हैं क्योंकि पहला अपराध की जांच की नियमों, मुकदमा चलाने की विधियाँ, अपील के प्रावधानों आदि से संबंधित है और दूसरा यह सिद्ध करने के माध्यम से संबंधित है कि व्यक्ति विशेष ने अपराध किया है या नहीं।

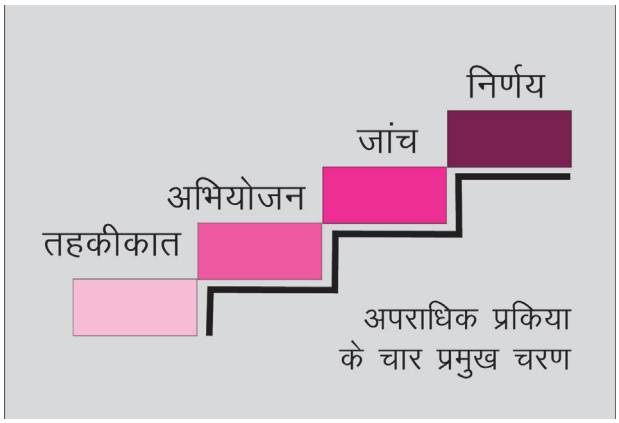

चूंकि समाज और राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन के अनुसार अपराध की प्रकृति में भी परिवर्तन होता है, इस प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिए विभिन्न नए कानून भी पारित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, आतंकवाद से संबंधित अपराध

तुलनात्मक दृष्टि से हाल की संकल्पनाएं हैं, जो मानव सभ्यता के आधार के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। चूंकि कानून में इस अपराध से निपटने के लिए कोई कई प्रावधान उपलब्ध नहीं थे इसलिए आतंकवाद निवारण अधिनियम (पीओटीए), 2002 पारित किया गया ताकि आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावपूर्ण ढंग से निपटा जा सके जिसके अंतर्गत कुछ अपराधों के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का भी प्रावधान है। तत्पश्चात्, इस नियम को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2004 निरसित और प्रतिस्थापित किया गया था। नए अधिनियम में पीओटीए के सभी प्रचालनिक प्रावधान यथावत हैं किन्तु इसमें केवल कुछ उपरी परिवर्तन किए गए हैं।

'अपराध' को भारतीय दंड संहिता में परिभाषित किया गया है किन्तु कोई भी व्यवहार जो जन कल्याण के लिए हानिकारक हैं वह अपराध माना गया है।

10.2.1 भारतीय दंड संहिता, 1860

भारतीय दंड संहिता, 1860 अधिष्ठायी कानून है जिसमें 511 धाराएं हैं जो विशिष्ट अपराधों और इन अपराधों के लिए संबधित दंडों का प्रावधान करती हैं। इसमें व्यापक स्तर पर अपराध शामिल हैं।, जिनमें से कुछ संज्ञेय (cognizable) और अन्य असंज्ञेय (non-cognizable) अपराध हैं। संज्ञेय अपराध वे हैं जहां पुलिस अधिकारी बिना वारंट के अपराधी को हिरासत में ले सकता है और गैर-संज्ञेय अपराध वे हैं जहां पुलिस अधिकारी बिना वारंट के अपराधी को हिरासत में नहीं ले सकता है। दंड संहिता में राज्य के विरूद्ध अपराधों, समाज के विरूद्ध अपराधों, मानव शरीर, संपत्ति, ख्याति को प्रभावित करने वाले अपराधों आदि के लिए दंड शामिल हैं। इसमें सामाजिक अपराधों जैसे लोक समानता, चुना, सार्वजनिक न्याय, धर्म आदि के विरूद्ध अपराधों को भी संहिताबद्ध किया गया है।

उदाहरण के लिए, धारा-141 बताती है कि गैरकानूनी जमावड़ा क्या है जबकि धारा 143 गैर-कानूनी जमावड़े की सजा निर्धारित करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 हत्या के जुर्म से संबंधित है, जबकि धारा- 302 हत्या के लिए दंड से संबंधित हैं आदि।

10.2.2 अपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

अपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 अपराध करने वालों को दंड दिए जाने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है जिसमें जांच, पूछताछ, मुकदमे और अंतिम निर्णय से संबंधि त प्रक्रिया शामिल है। यदि अभियुक्त दोषी पाया जाता है तो उसे दंडित किया जाएगा और यदि युक्तिसंगत स्तर तक उसका अपराध सिद्ध नहीं हो पाता हैं तो उसे रिहा कर दिया जाएगा।

10.2.3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 उन साक्ष्यों को निर्धारित करता है जिन पर मामले के निपटान के लिए विचार किया जा सकता है चाहे मामला सिवल हो या आपराधिक। साक्ष्य कानून के तीन मुख्य नियम हैं- साक्ष्य मामले के तथ्यों तक सीमित होना चाहिए। साक्ष्य के रुप में केवल संगत तथ्यों को ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अनुश्रुति साक्ष्यों को साक्ष्य नहीं माना जाता है और इस प्रकार इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता है।

10.2.4 संयुक्त दायित्व का सिद्धांत

आपराधिक दायित्व का सामान्य सिद्धांत यह है कि व्यक्ति जिसने अपराध किया है उसे दोषी सिद्ध किया जाए और तदनुसार दंडित किया जाए। किन्तु कुछ ऐसे अपराध हैं जहां व्यक्ति को कुछ कारणों से अन्यों के साथ संयुक्त रूप से दायी माना जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 से 38, 120क, 149, 396 तथा 460 के अंतर्गतसंयुक्त दायित्व का उल्लेख किया गया हैं। उदाहरण के लिए, समान उद्देश्य के लिए गैरकानूनी जमावड़ का प्रत्येक सदस्य उस जमावाड़ के किसी अन्य सदस्य द्वारा किए गए कृत्या के लिए उत्तरदायी होगा, और इस प्रकार उसे अपराधी के साथ समान रूप से दायी माना जाएगा।

पाठगत प्रश्न 10.2

1. आपराधिक कानून को परिभाषित करें।
2. 'संयुक्त दायित्व के सिद्धांत' को परिभाषित करें।

10.3 दंड के सिद्धांत

10.3.1 निवारक सिद्धांत (Deterrent Theory)

दंड का भयपरिकारी सिद्धांत दंड अपराध की गंभीरता या गंभीर प्रकृति के अनुरुप है। इस सिद्धांत के अनुसार, अपराध के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को इस दृष्टिकोण से दंड दिया जाता है की अन्य अपराधिकों को चेतावनी दी जा सके कि यदि वे भी इस प्रकार का अपराध करेंगे तो उन्हें भी यही दंड दिया जाएगा। इस प्रकार के दंड का उद्देश्य लोगों को अपराध करने से रोकना है। गंभीर अपराध करने वाले व्यक्ति को भारी दंड दिया जाता है। दंड का यह सिद्धांत अत्यधिक सफल नहीं है क्योंकि अधिकतर अपराध क्षणिक आवेश में किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, व्यक्ति को दंड के रूप में मृत्यु दंड देना।

10.3.2 निरोधक सिद्धांत (Preventive Theory)

निवारक सिद्धांत के अनुसार, अपराधि को इस दृष्टिकोण से दंड दिया जाता है। कि अपराधी द्वारा इस प्रकार के अपराधों को दोहराया न जा सके और इस प्रकार के दंडों में आजीवन कारावास और मृत्यु दंड शामिल हैं। उदाहरण के लिए बाल विवाह को रोकने के लिए दंड।

10.3.3 प्रतिकारी सिद्धांत (Retributive Theory)

इस प्रकार के दंड प्रतिकार के सिद्धांत पर आधारित है अर्थात जीवन के बदले जीवन, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत आदि, यह एक प्रकार क्रूर दंड है। इस प्रकार का दंड वैज्ञानिक रुप से रोग का उपचार नहीं करता है और अपराधिक मनोवृत्ति या अपराधों के कारणों का अध्ययन किए बिना आपराधिकता से निपटने का प्रयास करता है।

10.3.4 सुधारात्मक सिद्धांत

इस सिद्धांत का उद्देश्य अपराधियों को सुधारना है ताकि उन्हें अपराधों को दोहराने से रोका जा सके। जीवन के प्रति उनकी अभिरूचि में धीरे-धीरे और वैज्ञानिक रुप से सुधार होता है उन्हें शनै-शनै समाज में स्वीकार्य व्यक्ति के रुप में परिवर्तित किया जाता है। उदाहरण के लिए, बाल कल्याण गृहों में किशोर अपराधियों का उपचार।

अपराध की क्रिया के चार स्तर होते हैं-मंशां, तैयारी, प्रयास अपराध करना। एक व्यक्ति को दोषी तभी माना जाएगा जब वह इन तीनों स्तरों से गुजरा हो।

? क्या आप जानते है

कतिपय कृत्य ऐसे हैं जिन्हें अपराध के दूसरे ही स्तर पर अपराध माना जा सकता है उदाहरण के लिए, तैयारी स्तर पर ही? उदाहरण के लिए, डकैती डालने की योजना बनाना या सरकार के विरुद्ध युद्ध की योजना बनाना कानून के अंतर्गत दंडनीय अपराध है चाहे वास्तव में डकैनी डाली न गई हो या युद्धि न छेड़ा गया हो।

यदि गलत काम करने वाला व्यक्ति यह कहता है कि उसे इस कृत्य के परिणामों का ज्ञान नहीं था तो उसे माफ नहीं किया जा सकता। क्योंकि यह माना जाता है कि हर व्यक्ति को अपने देश के कानून का ज्ञान होना चाहिए जो कि इस कथन "Ignorntiajuris non exusat" से प्रभावित है जिसका अर्थ है विधि का ज्ञान न होना कोई बहाना नहीं है।

क्रियाकलाप 10.1

अपने कम से कम 5 सह-पाठकों, मित्रों या परिवार के सदस्यों से विचार एकत्र करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखें-

1. क्या आपके विचार से असाधारण से भी असाधारण मामले में मृत्यु दंड देना उचित हैं?
2. क्या आपके विचार से आपराधिक कानून के अंतर्गत व्यक्ति को दंडित करने से वह व्यक्ति भविष्य में अपराध नहीं करेगा?

उनके उत्तरों को नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत करें और उनके उत्तरों के आधार पर निष्कर्ष निकालें। इन विषयों में आपका क्या विचार है?

प्रश्न			व्यक्तियों का उत्तर		
	व्यक्ति 1	व्यक्ति2	व्यक्ति3	व्यक्ति4	व्यक्ति5
प्रश्न1					
प्रश्न2					

पाठगत प्रश्न 10.1

1. दंड के विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए।
2. निरोधक सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।

10.4 सिविल कानून और आपराधिक कानून के अंतर्गत शामिल अधिकार

कानूनी अधिकार को विधि द्वारा एक हित के रूप में मान्यता और संरक्षण प्रदान किया गया है। एक हित उस समय अधिकार बनता है जब उसे स्वीकृति प्रदान की जाती है। निम्नलिखित चार तत्व कानूनी अधिकार के मुख्य घटक है–

(i) व्यक्ति जिसे वह अधिकार प्राप्त है वही उस अधिकार का स्वामी है।

(ii) यह अधिकार जिस व्यक्ति के विरूद्ध विद्यमान है वह इस के लिए उत्तरदायी है।

(iii) कृत्य या सहिष्णुता, जिसके लिए व्यक्ति पात्र हैं।

(iv) अधिकार की विषय-वस्तु।

सिविल कानून के अंतर्गत एक कार्रवाई में सफल होने के लिए दायी को यह सिद्ध करना होता है कि उसके कानूनी अधिकारों के उल्लंघन के कारण उसे कानूनी क्षति पहुंची है। जब तक कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, तब तक सिविल कानून के अंतर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती है, चाहे वादी को किसी भी प्रकार की हानि हुई हो। इसे इस विवरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है कि "damnum sine inguria"। दूसरी ओर यदि वादी को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है और इसके बावजूद उसके अधिकार का हनन हुआ है तो इस प्रकार का अनैतिक कृत्य कार्रवाई योग्य है और वादी को इसके लिए क्षतिपूर्ण प्रदान की जा सकती है। इसे 'inguria sine damno' कथन से स्पष्ट किया जा सकता है।

सिविल कानून में अधिकतर संविदा, क्षतियों के कानून, पारिवारिक कानून तथा संपत्ति कानून के अंतर्गत अधिकार शामिल होते हैं।

10.4.1 संविदा का कानून

संविदा का कानून वाणिज्यिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाखा है। संविदाओं को निष्पादित किए जाने के लिए तैयार किया जाता है किन्तु यदि दोनों में से कोई भी पक्ष संविदा के अपने भाग का निष्पादन करने में विफल रहता है तो पीड़ित पक्ष को अधिनियम में उल्लिखित अनुसार उपयुक्त उपचार प्राप्त है।

रोजाना हजारों की संख्या में संविदा तैयार किए जाते हैं और इसलिए भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम है। वैध करार से संबंधित सभी नियमों का उल्लेख इस अधि नियम में है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिनियम के अनुसार दिन-प्रतिदिन के जीवन में बनाए गए करारों का निष्पादन संबंधित पक्षों के हित में किया जा रहा है और संविदा के उल्लंघन के मामले में पीड़ित पक्ष को न्यायालय के माध्यम से अधिनियम के अनुसार उचित उपचार प्राप्त हो सके।

10.4.2 अपकृत्य या हानि का कानून

अपकृत्य का कानून दायित्वों के कानून की एक शाखा है। यह वह कानून हैं जहां दूसरे लोगों को हानि पहुचानें का कानूनी दायित्व आपका है और यदि हानि पहुंचाई जाती है तो करार द्वारा नहीं बल्कि सामान्य कानून के करार बल से इतर उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व आपका होगा। सामाजिक रूप से अपकृत्य की क्रिया से तात्पर्य एक व्यक्ति को होने वाली हानि को दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाना, जिसने यह कृत्य किया है या इस कृत्य के होने के लिए उत्तरदायी है और कुछ उपायों में इस हानि को एक उपक्रम या संपूर्ण समुदाय में फैलाने के लिए उत्तरदायी है। अपकृत्य एक प्रकार का सिविल अपराध है जो विशिष्ट रूप से किसी अन्य प्रकार का सिविल अपराध नहीं है जैसे संविदा का उल्लंघन या विश्वास भंग। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सभी अपकृत्य सिविल अपराध हैं किन्तु सभी सिविल अपराध अपकृत्य नहीं है।

10.4.3 परिवार कानून

भारत विभिन्न संस्कृति और धर्मो का देश है। प्रत्येक धर्म विवाह, तलाक, वादपोषण, विभाजन, वसीयत तथा विरासत आदि संबंधी अपने स्वयं के व्यक्तिगत कानूनों से संचालित होते हैं। उदाहरण के लिए हिन्दू लोग हिन्दू धर्म से संचालित है जबकि मुस्लिम समुदाय मुस्लिम धर्म द्वारा संचालित है और पारसी समुदाय पारसी धर्म से संचालित हैं।

10.4.4 सम्पत्ति कानून

संपत्ति कानून चल तथा अचल संपत्तियों के हस्तांतरण के कानूनों से संबंधित है। जबकि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 अचल संपत्तियों की बिक्री, पटटा मॉर्टगेज आदि के प्रावधानों को निर्धारित करता है और चल संपत्तियों के हस्तांतरण के कुछ प्रावधानों को भी निर्धारित करता है जबकि माल विक्रय अधिनियम, 1930 क्रियात्मक दावों और धनराशि को छोड़कर केवल चल संपत्तियों के हस्तांतरण के प्रावधानों को निर्धारित करता है।

सिविल कानून की तुलना में आपराधिक कानून अपने शरीर तथा संपत्ति के संबंध में व्यक्ति के अधिकारों को शामिल करता है। जब कभी राज्य या एक व्यक्ति के शरीर या संपत्ति के विरूद्ध कोई अपराध किया जाता है तो राज्य इस पर प्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई करता है और अपराधी के विरूद्ध मामला दायर करता है।

क्रियाकलाप 10.2

समाज में दूसरों के प्रति जैसे आपका परिवार, पड़ोसी तथा अन्य अपने कानूनी अधिकारों और दायित्वों को नीचे दिए गए बॉक्स में प्रस्तुत करें।

मेरे कानूनी दायित्व

अपने परिवार के प्रति	अपने पड़ोसियों के प्रति	अपने प्रति
1.	1.	1.
2.	2.	2.

मेरे कानूनी अधिकार

अपने परिवार के प्रति	अपने पड़ोसियों के प्रति	अपने प्रति
1.	1.	1.
2.	2.	2.

पाठगत प्रश्न 10.4

1. कानूनी अधिकारों और दायित्वों से आप क्या समझते हैं? क्या इन दोनों के बीच कोई आपसी संबंध है?
2. निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सही है और क्यों?
   (i) वादी को किसी प्रकार की वास्तविक हानि के बिना कानूनी अधिकार का उल्लंघन कार्रवाई योग्य है।
   (ii) वादी को किसी प्रकार के कानूनी अधिकार के उल्लंघन के बिना हुई हानि कार्रवाई योग्य है।
3. निम्नलिखित में से कौन से अधिकार सिविल कानून के अंतर्गत शामिल हैं?
   (i) संविदा के अंतर्गत व्यक्ति का अधिकार
   (ii) मतदान का अधिकार
   (iii) महिला का विवाहभंग या तलाक होने पर भरण-पोषण का अधिकार।

10.5 आपराधिक कानून तथा सिविल कानून में अंतर

- आपराधिक कानून व्यक्तियों संगठनों आदि के बीच के विवादों को निपटाता है जबकि आपराधिक कानून विधि का वह निकाय है जो अपराध और अपराधिक दोषों के लिए कानूनी दंड का प्रावधान करता है।
- सिविल कानून में मामले का आरंभ दोषी के विरूद्ध पीडित पक्ष द्वारा शिकायत दायर करके किया जाता है जबकि आपराधिक कानून में दोषी के विरुद्ध सरकार द्वारा मामला दायर किया जाता है।
- एक सिविल मुकदमा आपराधिक मुकदमें से कम गंभीर होता है।
- सिविल कानून में साक्ष्यों को सिद्ध करने का उत्तरदायित्व दायी का होता है जबकि आपराधिक कानून में यह उत्तरदायित्व सदैव राज्य का होता है।
- सिविल कानून में दंड क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है जिसके द्वारा अपराध करने वाला न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुसार दायी को हुई हानि की राशि का भुगतान करता है। उदाहरण के लिए संविदा के उल्लंघन की स्थिति में पीडित पक्ष को क्षतिपूर्ति के लिए न्यायालय जाना पड़ता है जबकि आपराधिक कानून में दोषी को जुर्माने सहित या बिना जुर्माने जेल में डालकर दंडित किया जाता है और कुछ असामान्य से असामान्य मामलों में मृत्यु दंड भी दिया जाता है।

- व्यापक रूप से कहा जाए तो सिविल कानून का उद्देश्य एक व्यक्ति के हितों को दूसरों से सुरक्षा प्रदान करना है, जबकि आपराधिक कानून जनहितों को अपराधियों से सुरक्षा प्रदान करता है।
- सिविल कानून में संपत्ति, संविदा, अपकृत्य, पारिवारिक व्यवस्था आदि संबंधी विवाद शामिल है, जबकि आपराधिक कानून में मानव शरीर तथा संपत्ति को प्रभावित करने वाले अपराध और इन अपराधों के लिए संबंधित दंड शामिल है।
- आपराधिक मामलों में अभियुक्त को दोषों सिद्ध करने के लिए अधिक साक्ष्यों की जरूरत पड़ती है। जबकि सिविल मामलों में अधिक साक्ष्यों की आवश्यकता नहीं होती।
- आपराधिक कानून में संभावनाओं का प्रश्न नहीं उठता, इसे सदैव निश्चित होना चाहिए जबकि सिविल मामले में इसके विपरीत संभावनाओं द्वारा मामले को सिद्ध किया जा सकता है।

? क्या आप जानते है

कुछ ऐसे अनैतिक कृत्य हैं जो सिविल तथा आपराधिक कानून दोनों के अंतगर्त आते हैं? उदाहरण के लिए, अनैतिक कृत्य जैसे मारपीट, प्रहार, अपयश, लापरवाही तथा उपद्रव के लिए सिविल तथा आपराधिक दोनों कानूनों में प्रावधान है, हालांकि इन दोनों कानूनों में इन अनैतिक कृत्यों की परिभाषा भिन्न भिन्न है। सिविल कानून के अंतर्गत एक व्यक्ति को उत्तरदायी बनाने के लिए अपकृत्य के नियम लागू किए जाते हैं और आपराधिक दायित्व स्थापित करने के लिए आपराधिक कानून के नियम लागू होते हैं।

पाठगत प्रश्न 10.5

1. सिविल कानून तथा आपराधिक कानून के बीच क्या मौलिक अंतर है?
2. निम्नलिखित में से कौन से मामले सिविल कानून और कौन से मामले आपराधिक कानून के अंतर्गत आते हैं?
   (i) दो भाईयों के बीच संपत्ति का विवाद
   (ii) एक पन्द्रह वर्षीय लड़की का अपहरण
   (iii) एक पक्ष द्वारा संविदाकारी शर्तो का उल्लंघन
   (iv) एक व्यक्ति द्वारा हत्या का अपराध
3. आपराधिक कानून में मानसिक तत्व या 'मंशा' का क्या महत्व हैं?

आपने क्या सीखा

- सिविल कानून और आपराधिक कानून विधि की दो व्यापक श्रेणियां हैं, जो व्यक्तियों और राज्य के कानूनी अधिकारों के संरक्षण द्वारा सम्पूर्ण कानूनी प्रणाली को विनियमित

करती हैं। अधिकारों के संरक्षण द्वारा सम्पूर्ण कानूनी प्रणाली को विनियमित करती हैं।

- कानूनी अधिकार को विधि द्वारा एक हित के रूप में मान्यता और सरंक्षण प्रदान किया गया है। इस प्रकार जहां किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का हनन होता है, वहां वह उपयुक्त न्यायालय में जाकर राहत प्राप्त कर सकता है, अर्थात सिविल कानून के अंतर्गत किसी कृत्य के लिए सिविल न्यायालय और आपराधिक कृत्य के लिए आपराधिक न्यायालय।
- सिविल कानून अधिकार व्यक्तियों और प्राइवेट अधिकारों से संबंधित हैं जैसे संविदा के कानून, अपकृत्य, पारिवारिक कानून आदि के अंतर्गत शामिल अधिकार किन्तु आपराधिक कानून समाज में रहने के लिए लोगों के आचरण को विनियमित करता है क्योंकि एक अपराध राज्य के विरूद्ध माना जाता है।
- सिविल कानून के अंतर्गत संविदा का कानून पक्षों के बीच प्रवर्तनीय करारों, संविदा के अंतर्गत उनके अधिकारों और दायित्वों और इन संविदाओं के उल्लंघन के लिए उपचार उपलब्ध कराता है। अपकृत्य का कानून अधिकारों के उल्लंघन के मामले में समाज में व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। ये दोनों कानून अधिकतर अंग्रेजी कानून प्रणाली पर आधारित हैं। परिवार कानून पारिवारिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत व्यक्तियों के अधिकारो और दायित्वों को विनियमित करता है जबकि हिन्दू लोग हिन्दू कानून से संचालित हैं जबकि मुस्लिम समुदाय मुस्लिम कानून द्वारा संचालित है। ईसाई लोग ईसाई कानून से, और पारसी समुदाय पारसी कानून से संचालित है।
- आपराधिक कानून अधिकतर दो प्रकार के कानूनों से संबंधित है-अधिष्ठायी और प्रक्रियात्मक कानून। अधिष्ठायी कानून अपराधों को निर्धारित करता है और इन अपराधों के लिए दंडो को निर्धारित करता है जबकि प्रक्रियात्मक कानून अपराधियों को ऐसे दंड दिए जाने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करता है।

पाठांत प्रश्न

1. कानूनी अधिकारों से आप क्या समझते हैं? आप अपने किसी कानूनी अधिकार के उल्लंघन के लिए क्या कार्रवाई कर सकते हैं?
2. सिविल कानून में आपराधिक कानून की तुलना में कम गंभीर मामले शामिल होते हैं। चर्चा करे।
3. संविदागत दायित्वों से निपटने वाले कानून का संक्षिंप्त ब्यौरा प्रस्तुत करें।
4. सभी अपकृत्य सिविल अपराध हैं किन्तु सभी सिविल अपराध अपकृत्य नहीं हैं। स्पष्ट करें।
5. आपराधिक कानून के अंतर्गत "actus non facitreum nisi mens sit rea" कथन के महत्व का वर्णन करें।
6. दंड के विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा करे।

7. निम्नलिखित विवरणें को पढ़ें इनमें से सही विवरणों को पहचानें और गलत विवरणों में आवश्यक परिवर्तन करते हुए उन्हें पुन: लिखें।

   (i) जहां अधिकार है, वहीं उपचार हैं।

   (ii) सिविल कानून जन अधिकारों से संबंधित हैं।

   (iii) आपराधिक कानून के अंतर्गत, दंड क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है।

   (iv) असाधरण से असाधारण मामलों में मृत्यु दंड दिया जाता है।

   (v) संपत्ति विवादों से संबंधित मुकदमें आपराधिक कानून के अंतर्गत चलाए जाते हैं।

   (vi) सिविल कानून में सरकार द्वारा दोषी के विरूद्ध मामला दायर किया जाता है।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

10.1

1. सिविल कानून और कुछ नहीं बल्कि राज्य का कानून या देश का कानून है। यह कानून और न्याय का वह क्षेत्र है जो व्यक्तिगत विधिक स्थिति को प्रभावित करता है। सिविल कानून न केवल निजी पक्षों के बीच विवादों को निपटाता है बल्कि व्यक्तियों के लापरवाहीपूर्ण कृत्यों द्वारा अन्य लोंगों को हुई क्षति का भी निवारण करता है।

2. योगदायी उपेक्षा से तात्पर्य ऐसी उपेक्षा से है जिसके लिए वादी तथा प्रतिवादी दोनों का योगदान हैं। वादी तथा प्रतिवादी दोनों ही इस प्रकार की लापरवाही के लिए उत्तरदायी होते हैं।

10.2

1. आपराधिक कानून को "नियमों के एक निकाय, जो जन सुरक्षा और कल्याण के लिए हानिकारक आचरण को प्रतिबंधित करता है और ऐसे कृत्यों के लिए दंड निर्धारित करता है" के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आपराधिक कानून कानूनों का वह निकाय है जो अपराधों और उनके परिणामों से सम्बन्धित है।

2. आपराधिक दायित्व का सामान्य सिद्धांत यह है कि व्यक्ति जिसने अपराध किया है उसे दोषी सिद्ध किया जाए और तदनुसार दंडित किया जाए। किन्तु कुछ ऐसे अपराध हैं जहां व्यक्ति को कुछ कारणों से अन्यों के साथ संयुक्त रूप से दोषी माना जाता है। इसे संयुक्त दायित्व का सिद्धान्त कहा जाता है।

10.3

1. दंड के विभिन्न सिद्धांत निम्नानुसार हैं-

   (i) निवारक सिद्धांत (Deterrent Theory)

   (ii) निरोधक सिद्धांत (Preventive Theory)

(iii) प्रतिकारी सिद्धांत (Retributive Theory)

(iv) सुधारात्मक सिद्धांत (Reformative Theory)

2. निरोधक सिद्धांत के अनुसार, अपराधि को इस दृष्टिकोण से दंड दिया जाता है कि अपराधी द्वारा इस प्रकार के अपराधों को दोहराया न जा सके और इस प्रकार के दंडों में आजीवन कारावास और मृत्यु दंड शामिल है।

10.4

1. कानूनी अधिकार वे हित हैं जिन्हें कानून द्वारा मान्यता तथा संरक्षा प्राप्त होता है। एक हित तब अधिकार बनाता है जब उसे कानूनी संरक्षण और कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। कानूनी अधिकार हित हैं, जिनके उल्लंघन से नैतिक अपकृत्य होता है। अन्यों के कानूनी अधिकारों का आदर करना एक व्यक्ति का कानूनी दायित्व है। जब कोई व्यक्ति अन्यों के प्रति अपने कानूनी दायित्व के बीच सदैव ही संबंध रहा है। क्योंकि जब एक व्यक्ति के कानूनी अधिकार होते हैं तो इसका अर्थ होता है कि विश्व में अन्य सभी का दायित्व है कि उस अधिकार का पालन करे अन्यथा कानून स्वयं उल्लंघन करने वाले के प्रति कार्रवाई करेगा।

2. दो प्रश्नों में से (i) सही हैं और (ii) गलत हैं। क्योंकि एक सफल कार्रवाई करने के लिए केवल एक बात सिद्ध करनी होती हैं कि वादी के कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया गया है। चाहे उसे कोई वास्तविक हानि हुई हो या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है।

3. ये तीनों अधिकार सिविल कानून के अंतर्गत शामिल हैं।

10.5

1. सिविल कानून अधिकतर व्यक्तियों, संगठनों आदि के प्राइवेट अधिकारों को विनियमित करता है जो कम गंभीर प्रकृति के होते हैं और जिसके लिए दंड क्षतिपूर्ति की दृष्टि से प्रदान की जाती है, जबकि आपराधिक कानून अधिक गंभीर प्रकृति के अपराधियों के कृत्यों के विरूद्ध जनता के हितों को सरंक्षित करता है और इसके लिए अपराधी को जल या जुर्माने या दोनों के द्वारा दंडित किया जाता है।

2. (i) और (iii) सिविल कानून के अंतर्गत शामिल हैं और क्र सं (ii) और (iv) आपराधिक कानून के अंतर्गत शामिल हैं।

3. एक अपराध को करने के लिए "मानसिक तत्व" सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। जब तक एक अपराध 'अपराध की मंशा' से नहीं किया जाता है तब तक वह दंडनीय नहीं है।